राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5220/2022
विजेन्द्र सिंह

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चुरू संभाग, चुरू।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, झुंझुनू।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सारी, ब्लॉक चिड़ावा, झुंझुनू।
6. राजपाल, वरिष्ठ अध्यापिका, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सारी, ब्लॉक चिड़ावा, झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 22.11.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सतीश बलवाड़ा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 24.09.2022 के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवता, झुंझुनू से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सारी, ब्लॉक, झुंझुनू किया गया था, जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 29.09.2022 को ऑफलाइन कार्यग्रहण कर लिया था। उनका कथन है कि अपीलार्थी सारी में एक अन्य कर्मचारी श्रीमती राजपाल पहले से ही कार्यरत थी। इस कारण से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सारी, ब्लॉक चिड़ावा, झुंझुनू में अपीलार्थी को वेतन प्रदान नहीं किया जा रहा था और निजी प्रत्यर्थी संख्या 6, राजपाल को उस स्थान से वेतन प्रदान किया जा रहा था। उनका आगे कथन है कि वर्तमान में निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 का अन्यत्र स्थानांतरण किया जा चुका है। ऐसे में अपीलार्थी को उनके मूल पद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सारी, झुंझुनू से वेतन आहरण किया जाये।
2. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रकट होता है कि वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सारी, झुंझुनू में अपीलार्थी ही

कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी का उसके वर्तमान पद से वेतन आहरण किया जाये। इस आदेश की पालना 4 सप्ताह में की जाये। इस आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)